BA Part II (H)
Paper III

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor (CIT)
Department of Sociology
VSJ college Rajnagar

Lecture VI

अनुसूचित जातियों के समस्याओं का निराकरण =)

अनुसूचित जातियां की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किये गये, जो इस प्रकार है-

(I) संवैधानिक प्रावधान =) स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं की गई है। जिनमें निम्नलिखित का विशेष उल्लेख किया जा सकता है-

a) अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इनमें से किसी आधार पर कोई नागरिक दुकानों, भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के बारे में किसी भी अंश में- राज्य द्वारा पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं तालाबों घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के

स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता, निबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा।

b) अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिकों के लिए समान अवसर होगी। धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान, निवास आदि के आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी पद के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही कोई विभेद किया जाएगा।

c) अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया। अस्पृश्यता का आचरण तथा उससे उत्पन्न अयोग्यता को लागू करना कानूनी अपराध के रूप में दंडनीय माना गया।

d) अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।